

20/11/24

पत्रावली प्रस्तुत। वाडी रैंक प्रतिवादीगण की ओर  
से न तो कमील उपलब्ध हुआ तथा न ही  
वाडी, प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय शपथ पत्र कत कत  
का बार बार आवेदन लगाई गई। कमील वाडी  
रैंक प्रतिवादीगण के अनुपस्थित होने के कारण हस्तगत  
वाद पत्र इसी स्तर पर अटक परकी अटक  
हाजरी में खारिज किया जाता है। हस्तगत  
वाद पत्र के तल शुमार होकर बाकिल दफ्तार  
हो व दर्ज नम्बर से कप हो।

सुरेश राव ज.र.ए.एच.  
उपखण्ड अधिकारी  
अनूपगढ़

